रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28012022-232971
CG-MH-E-28012022-232971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943
No. 63] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/MAGHA 8, 1943

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुंबई, 3 जनवरी, 2022

फा. सं. CO:HRD:IRP:2021-22:236.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, एतद्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन)विनियम, 2021 कहा जा सकता है.

(2) जैसा कि इन विनियमों में बताया गया है ये विनियम दिनांक 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी माने जायेंगे.

2. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके बाद कथित विनियमों के रूप में संदर्भित) में, विनियम 3 में, खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'(एफ) "परिवार" का अर्थ है अधिकारी का पति / की पत्नी, पूरी तरह से आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चे और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित), चालीस प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले पूरी तरह से आश्रित शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग भाई या बहन, विधवा बेटियां और आश्रित तलाकशुदा या पति से अलग रहनेवाली बेटियां, अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त या पति से अलग रहनेवाली या विधवा बहनें और माता-पिता जो पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर हैं और एक विवाहित महिला अधिकारी के मामले में उसके प्राकृतिक माता-पिता या सास-ससुर शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं।

स्पष्टीकरण .- "पूरी तरह से आश्रित" का अर्थ परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी आय रुपये 10,000 प्रति माह से अधिक नहीं है और जहां माता-पिता पूरी तरह से आश्रित परिवार सदस्य हैं, माता या पिता की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय यदि रुपये10,000 प्रति माह से अधिक है, माता या पिता या दोनों को पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर नहीं माना जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(6) दिनांक 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(ए) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹76520 -2120/4- 85000

वेतनमान VI = ₹68680 - 1960/4- 76520

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = 59170 - 1650/2 - 62470 - 1800/2- 66070

वेतनमान IV = 50030 - 1460/4 - 55870 - 1650/2– 59170

(सी) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹42020 - 1310/5 - 48570 - 1460/2- 51490

वेतनमान II = ₹31705 - 1145/1 - 32850 - 1310/10- 45950

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹23700 - 980/7 - 30560 - 1145/2 - 32850 - 1310/7- 42020

स्पष्टीकरण :- प्रत्येक अधिकारी जो दिनांक 31 अक्टूबर 2012 को लागू वेतनमान द्वारा अधिशासित होता है, उसका दिनांक 1 नवंबर, 2012 को इस उप-विनियम में दर्शाए वेतनमान में यथा स्तर आधार पर निर्धारण किया जाएगा, अर्थात संबंधित वेतनमानों में प्रथम चरण से आगे तत्संगत चरणों पर निर्धारण किया जाएगा एवं वेतनवृद्धियां सामान्यतः वार्षिकी की तारीख पर देय होगी।

(7) उप-विनियम (1),(2),(3),(4),(5) और (6) में किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना आवश्यक है।

(8) दिनांक 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को विशेष भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

वेतनमान I-III - मूल वेतन का 7.75% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV-V - मूल वेतन का 10% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI-VII - मूल वेतन का 11% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

बशर्ते कि किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना आवश्यक है।

नोट: उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता, उस पर लागू महंगाई भत्ते के साथ, सेवानिवृत्ति लाभों जैसे कि नई पेंशन योजना सहित पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।".

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में, -

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) विनियमन 4 के उप-विनियमन (6) के प्रावधानों के अधीन, दिनांक 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद से, वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन दिए जाएगी, अर्थात्:-

(ए) विनियम 4 के उप-विनियम (6) में निर्धारित वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर उपचित (accrue) होंगी और वे उस महीने की पहली तारीख को उसे दी जाएंगी, जिसमें वे देय होती होंगी;

(बी) अपने संबंधित वेतनमान में अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को केवल अगले उच्च वेतनमान में गत्यावरोध वेतन वृद्धि सहित आगे वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी, जैसा कि नीचे खंड (सी) में निर्दिष्ट है, बशर्ते कि वे दक्षता बार को पार कर रहे हों;

(सी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्चतम वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में स्थानांतरित हो गए हैं, सेवा के प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों के लिए चार गत्यावरोध वेतन वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो ₹ 1310 प्रत्येक और अगले दो ₹ 1460 प्रत्येक होंगे;

(डी) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी जो उच्च वेतनमान की अधिकतम तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में स्थानांतरित हो गए हैं, प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों की सेवा के लिए 1460 रुपये की तीन गत्यावरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे और तीसरी गत्यावरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के दो वर्ष बाद चौथी गत्यावरोध वेतन वृद्धि रुपये 1460 की होगी:

बशर्ते कि जिन अधिकारियों ने तीसरे गत्यावरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के बाद दो वर्ष या अधिक पूरा कर लिया है उन्हें 1 मई, 2015 से चौथी गत्यावरोध वेतन वृद्धि दी जाएगी;

(ई) मूल मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारी (जो मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं) प्रत्येक तीन पूर्ण वर्षों की सेवा के लिए रुपये 1460 की तीन गत्यावरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे और दिनांक 1 मई, 2015 को तीसरी गत्यावरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के बाद दो वर्ष या अधिक पूर्ण करने वाले अधिकारियों को रुपये 1460 की चौथी गत्यावरोध वेतन वृद्धि दी जाएगी और चौथे गत्यावरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के बाद दो वर्ष पूर्ण करने वाले अधिकारियों को रुपये 1460 की पांचवीं गत्यावरोध वेतन वृद्धि दी जायेगी बशर्ते कि अधिकारी ने चौथे गत्यावरोध वेतन वृद्धि की प्राप्ति के बाद दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उन्हें 1 मई, 2015 से पांचवीं गत्यावरोध वेतन वृद्धि दी जाएगी;

(एफ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान - IV के अधिकारी वेतनमान की अधिकतम तक पहुंचने के तीन वर्ष के बाद दिनांक 1 मई, 2015 से रुपये 1650 की एक गत्यावरोध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि ऐसी वेतनवृद्धि उस अधिकारी को अनुमत नहीं होगी, जो पदोन्नति प्राप्त होने पर उसे मना कर देता है।

स्पष्टीकरण: - इस उप-विनियम के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में दी गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा. ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद (substantive) के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।";

(ii) उप-विनियम (2) में, *स्पष्टीकरण में*, खंड (एफ) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा , अर्थात्:

"(जी) दिनांक 1 नवंबर,2012 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान रहते हुए व्यावसायिक अर्हता भत्ता निम्न तालिका के अनुसार संशोधित किया गया है:

तालिका

(1)	(2)
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट पास किया हो- भाग I	₹ 670 प्रति माह, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों पार्ट पास किए हों	(i) ₹ 670 प्रति माह, वेतनमान की अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद (ii) ₹1680 प्रति माह वेतनमान की अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष बाद

बशर्ते कि कोई अधिकारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट (एक अथवा दोनों भागों) की योग्यता वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के बाद प्राप्त करते हैं तो उन्हें ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख से पहली किस्त दी जाएगी. व्यावसायिक अर्हता भत्ता की अगली किश्त का जारी करना व्यावसायिक अर्हता भत्ता की पहली किस्त जारी होने की तारीख के संदर्भ में होगा।";

(iii) उप-विनियम (3) में, खंड (ई) के तहत तालिका के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्: -

"(एफ)" दिनांक 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद से, अन्य बातों के समान रहते हुए मकान किराया भत्ते सहित नियत वैयक्तिक भत्ता, निम्नानुसार होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए एकसमान रहेगा:

तालिका

वेतन वृद्धि घटक (₹)	**वेतन वृद्धि घटकों पर 01.11.2012 को महंगाई भत्ता (₹)**	**देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता जहां बैंक का आवास प्रदान किया जाता है (₹)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

ध्यान दें:

(i) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) में तालिकाओं के कॉलम (3) के तहत इंगित नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया जाता है।

(ii) मकान किराया भत्ता, के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन खंड (एफ) के तहत तालिका के कॉलम (1) और (2) के तहत निर्दिष्ट कुल राशि और संबंधित अधिकारी द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5) और (6) में निर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि अर्जित करने पर लिया गया मकान किराया भत्ता होगा।.

(iii) केवल वे अधिकारी जो 01.11.1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में थे, वे अपने वेतन के अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद नियत व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र होंगे।

(iv) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद नियत व्यक्तिगत वेतन की रिहाई के कारण उप विनियमन (2) की व्याख्या (सी) के रूप में व्यावसायिक अर्हता भत्ता की रिहाई की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां पहले प्रावधानों के कारण व्यावसायिक अर्हता भत्ता की किसी भी किस्त एक साल से आगे कर दी गई थी और जो 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी किए जाने वाली थी उसे उसी तारीख से जारी कर दिया जायेगा और व्यावसायिक अर्हता भत्ता की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, को 1 नवंबर, 2000 से जारी कर दी जायेगी।

(v) नियत वैयक्तिक भत्ता या नियत वैयक्तिक वेतन का वेतनवृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गणना में लिया जायेगा।

(vi) एक अधिकारी जिसने इस उप-विनियम के खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, उसे वेतनमान के अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी), (ई) या (एफ) में उल्लिखित नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन की मात्रा प्राप्त होगी।

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में:-

(i) उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम डाला जाएगा, अर्थात्:-

"(6) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद, महगांई भत्ता वेतन के 0.10% की दर से अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 =100 की तिमाही औसत में 4440 अंकों के ऊपर 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से देय होगा।

स्पष्टिकरण :- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए-

(ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" का अर्थ गत्यावरोध वेतन वृद्धि और विशेष भत्ता सहित मूल वेतन से होगा;

(बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में स्पष्टीकरण के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी) में निर्दिष्ट व्यावसायिक अर्हता भत्ता या व्यावसायिक अर्हता वेतन महंगाई भत्ते की गणना के लिए पात्र होगा।".

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद,-

(ए) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो जिस वेतनमान में उसे रखा गया है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 0.75 प्रतिशत के समान राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(बी) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नही की गई है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा, अर्थात्:-

तालिका

काम का स्थान	**मकान किराया भत्ता**
(1)	(2)
(i) प्रमुख ए श्रेणी के शहर एवं समूह "ए" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 9.0%
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान पर तथा समूह 'बी' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र और गोवा राज्य	वेतन का 8.0%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 7.0%

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता वेतनमान के प्रथम प्रक्रम में वेतन का 0.75 प्रतिशत अधिक उसके द्वारा आवासीय आवास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जो उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ता के अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

नोट: अधिकारियों के आवास किराया भत्ते के दावे जो उनके स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े हुए हैं, वे भी उपर्युक्तानुसार आवास किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।".

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में, -

(ए) उप-विनियम 1), (2), (3), (4), और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 में वर्णित किसी स्थान में कार्य करता हैं तो उसे उस स्थान के सामने कॉलम 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा:-

तालिका

स्थान	दरें
(1)	(2)
(ए) क्षेत्र - I के स्थान और गोवा राज्य में।	मूल वेतन का 4%, अधिकतम रुपये 870/- प्रतिमाह
(बी) 5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पाण्डिचेरी एवं पोर्ट ब्लेयर	मूल वेतन का 3%, अधिकतम रुपये 600/- प्रतिमाह

(2) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से, विशेष क्षेत्रों भत्ते की दरों के रूप में इन नियमों के अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से, अगर कोई अधिकारी ग्रुप ए या ग्रुप बी के परियोजना क्षेत्र में कार्य करता है तो उन्हें ग्रुप ए या ग्रुप बी के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः 400 रुपये प्रति माह या 350 रुपये प्रति माह की दर से परियोजना प्रतिपूरक भत्ता दिया जायेगा।

(4) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और उसके पहले के स्थान में, स्कूल अथवा कालेज में पढ़ने वाले एक अथवा अधिक बच्चे हैं तो उसे सभी बच्चों के लिए उसके बाद के स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक ₹1100/- प्रति माह का मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा, परंतु ऐसा भत्ता उस अवस्था में रोक दिया जाएगा, यदि सभी बच्चे पहले के स्थान पर पढ़ना छोड़ देते हैं।

(5) 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन सभी परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है, जिसके लिए वह प्रतिनियुक्त किया गया है. विकल्प के रूप में, वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन का 7.75%, अधिकतम रुपये 4000/- प्रति माह प्रतिनियुक्त भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है, जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में प्राप्त होते:

परंतु वह किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले तैनात था, तो उसे उसके वेतन का 4%, अधिकतम ₹2000/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा:

इसके अलावा, यदि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने वेतन का 4%, अधिकतम ₹ 2000/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा।";

(बी) उप-विनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से यदि उसका कार्य-समय दिन के दौरान 2 घंटों के न्यूनतम अंतराल से दो भागों में बंटा हुआ है तो उसे ₹200/- प्रति माह विभक्त कार्य-समय भत्ता दिया जाएगा।";

(सी) उप-विनियम (10) में: -

(ए) " नवंबर 2007 का प्रथम दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "नवंबर, 2012 का प्रथम दिन " अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(बी) तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(ii) 1000 मीटर और उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मर्कारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम ₹ 750 प्रति माह
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5 % अधिकतम 1000 रुपये प्रति माह
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम 2000 रुपये प्रति माह

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, -

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) 1 नवंबर 2012 और उससे आगे, दावा की गई राशि हेतु किये गये खर्च का खाता विवरण हेतु अधिकारी के अपने प्रमाण पत्र के आधार पर अपने व परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए एक अधिकारी नीचे दी गई तालिका के अनुसार वर्णित राशि हेतु पात्र होगा अर्थात्:-

तालिका

श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	₹ 8000/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यकारी श्रेणी	₹ 9050/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि जो भी कम हो

ध्यान दें: (i) एक अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता राशि जमा करने की अनुमति दी जा सकती है जो किसी भी समय ऊपर वर्णित अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो; या

(ii) वर्ष 2012 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने, यानी नवंबर, 2012 और दिसंबर, 2012 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(1ए) एक अधिकारी, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए पात्र होगा।".

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(2) उप-विनियम (1) में निहित कुछ होते हुए भी, बैंक के पास एक अधिकारी द्वारा 1 नवंबर 2012 और उससे आगे, अपने पद के वेतनमान के पहले चरण के मूल वेतन के 0.75 प्रतिशत राशि अथवा आवास हेतु मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान करने पर उस अधिकारी को आवास उपलब्ध कराने का विकल्प होगा:

बशर्ते कि जहां अधिकारी को ऐसे आवास को फर्नीचर सहित उपलब्ध कराया जाता है, वहां उसके पद के वेतनमान के पहले चरण के मूल वेतन के 0.15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि, बैंक द्वारा उससे वसूल की जाएगी:

आगे, यह कि जहां ऐसा आवासीय आवास बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, वहां बिजली, पानी, गैस और संरक्षण का प्रभार उस अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।".

10. उक्त विनियमों के विनियम 33 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) 1 नवंबर 2015 और उससे आगे, केवल उन दिनों को छोड्कर, जिनके लिये अवकाश का आवेदन किया गया है किंतु इसके लिये मना कर दिया गया है, अर्जित अवकाश दो सौ सत्तर दिनों से अधिक संचित नहीं किया जा सकता है:

बशर्ते कि अर्जित अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ चालीस दिनों तक सीमित होगा:

परन्तु यह और कि अर्जित अवकाश लेने का इच्छुक अधिकारी सामान्यतया ऐसी छुट्टी लेने के अपने आशय की कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देगा।".

11. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) 1 जून 2015 और उससे आगे, एक अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार गुर्दे या अंग दान करने के लिए अधिकतम 30 दिनों तक का विशेष चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जा सकता है।".

12. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(2) 25 मई 2015 से, एक निःसंतान महिला अधिकारी को एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने हेतु उसके पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार, निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जा सकता है:-

(i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए अवकाश दिया जाएगा;

(ii) बच्चे को गोद लेना एक उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए और अधिकारी को ऐसा अवकाश स्वीकृत करवाने के लिए गोद लेने का विलेख पत्र बैंक को प्रस्तुत करना होगा;

(iii) जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ हो, उन मामलों में, जैविक मां को भी अवकाश उपलब्ध होगा; तथा

(iv) यह अवकाश, पूरे सेवाकाल के दौरान, बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर लिया जायेगा।

(3) 25 मई 2015 से, बारह महीने की कुल अवधि के भीतर, गर्भाशय उच्छेदन के मामले में अधिकतम साठ दिनों तक का अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है।

(4) मातृत्व अवकाश, जो मूल वेतन पर होगा, एक महिला अधिकारी को किसी एक अवसर पर अधिकतम छह महीने और उसके पूरे सेवाकाल के दौरान, बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा:

बशर्ते कि बारह महीने की कुल अवधि के भीतर गर्भपात या गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन के मामले में भी अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है।

(5) 1 जून 2015 से, दो जीवित बच्चों तक वाले पुरुष अधिकारी अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान पंद्रह दिन के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे, जिसे आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश साथ जोड़ा जा सकता है:

बशर्ते अवकाश आवेदन बच्चे के जन्म की तारीख से पन्द्रह दिन पहले या छह महीने तक किया गया हो।".

13. उक्त विनियमों के विनियम 38 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"38 अवकाश की समाप्ति - नीचे दिए गए प्रावधान के अलावा, किसी अधिकारी के खाते में जमा सभी अवकाश, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवामुक्ति, निलंबन या सेवा समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगे:

बशर्ते कि जब कोई अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है वह, उसके अपने उपचित अधिकतम दो सौ चालीस दिनों तक के अर्जित अवकाश तक किसी भी अवधि की परिलब्धियों के समान राशि का भुगतान प्राप्त करने का पात्र होगा:

परंतु यह और कि जहां किसी अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जिसमें सजा के तौर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी शामिल है, वह, अपने उपचित अधिकतम दो सौ चालीस दिनों तक के अर्जित अवकाश तक किसी भी अवधि की परिलब्धियों के समान राशि का भुगतान प्राप्त करने का पात्र होगा:

परंतु यह भी कि जहां किसी अधिकारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, वहां उसके विधिक प्रतिनिधियों को उसकी मृत्यु की तारीख को उसके खाते में दो सौ चालीस दिन के विशेषाधिकार अवकाश से अनधिक की परिलब्धियों के बराबर राशि देय होगी:

परंतु यह भी कि विनियमन 20 के उप विनियमन (2) के अनुसार देय सूचना देने के पश्चात दिनांक 1 अप्रेल 2001 को और उससे आगे, एक अधिकारी जो सेवा से त्यागपत्र देता है, उसे, सेवा समाप्ति के दिन उसके खाते में जमा ऐसे अवकाश के आधे तक, किंतु अधिकतम एक सौ बीस दिनों के अर्जित अवकाश तक की परिलब्धियों के समान राशि का भुगतान प्रदान किया जा सकता है।"।

14. उक्त विनियमों के विनियम 41 में, -

i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) दिनांक 1 नवंबर 2012 को और उससे आगे, जहाँ एक अधिकारी ड्यूटी के लिए यात्रा करना अपेक्षित, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्: -

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी में एक अधिकारी ट्रेन से प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर स्लीपर से यात्रा करने का पात्र है :

किंतु वह हवाई (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है, बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यापार या सार्वजनिक हित की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई हो;

(बी) मध्य प्रबंधन श्रेणी में एक अधिकारी ट्रेन से प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर स्लीपर से यात्रा करने का पात्र है:

किंतु वह हवाई (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है बशर्ते कि यात्रा की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक है:

किंतु यह भी कि वह हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) से कम दूरी के लिए भी यात्रा कर सकता है, बशर्ते यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय या सार्वजनिक हित की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने की अनुमति दी जाती है;

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यकारी श्रेणी में एक अधिकारी ट्रेन या हवाई (इकोनॉमी क्लास) द्वारा एसी प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का पात्र है;

(डी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यकारी श्रेणी में एक अधिकारी हवाई या रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकता है बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो:

बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का एक बड़ा हिस्सा हवाई या रेल द्वारा तय किया जा सकता है, तो शेष दूरी सामान्य रूप से कार द्वारा तय की जानी चाहिए;

(इ) किसी अन्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए अपने वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

(एफ) किसी भी श्रेणी या वेतनमान का अधिकारी सड़क या हवाई या रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा।";

(ii) उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ए) 1 जून 2015 से और उससे आगे, निम्न तालिका के कालम (1) में वर्णित श्रेणी या वेतनमान के अधिकारी तालिका की पंक्ति के समक्ष कालम (2) में निर्धारित दर से दैनिक विराम भत्ता के लिए पात्र होंगे, अर्थात्: -

तालिका

अधिकारियों के श्रेणी / वेतनमान	**मेट्रो (₹)**	**प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर (₹)**	**क्षेत्र 1 (₹)**	**अन्य स्थान (₹)**
(1)	**(2)**			
वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	1800	1300	1100	950
वेतनमान IV और V के अधिकारी	1500	1300	1100	950
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	1300	1100	950	800

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक हो, वहां उपरोक्त दरों के आधे पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण, - विराम भत्ता की गणना के प्रयोजनों के लिए, "प्रति दिन" का अर्थ चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के किसी भी भाग से होगा, जिसे हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से वापस आगमन के वास्तविक समय तक गिना जाता है और जहां अनुपस्थिति/दौरे की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, "प्रति दिन" का अर्थ होगा आठ घंटे से कम की अवधि नहीं।"।

15. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) जून, 2015 के पहले दिन को और उससे आगे, स्थानांतरण पर एक अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्: -

तालिका

श्रेणी या वेतनमान	**राशि**
(1)	**(2)**
शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	20,000 रुपये
मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी (वेतनमान III तक के अधिकारी)	15,000

16. उक्त विनियमों के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) चार वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, एक अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने अधिवास स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने अधिवास स्थान और दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर सबसे कम दूरी के मार्ग से यात्रा कर सकता है:

बशर्ते आगे यह भी कि दिनांक 1 जून, 2015 से, वैकल्पिक रूप से, एक अधिकारी 4 वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक, जैसा भी मामला हो, में किसी भी समय अभ्यर्पण (सरैंडर) करके अपनी अवकाश किराया सुविधा (अधिवास स्थान की यात्रा के अलावा) का नकदीकरण कर सकता है. ऐसा करने पर वह ट्रेन द्वारा यात्रा की उस श्रेणी से, जिसका कि वह पात्र है, कप्रक्षे वेतनमान I तथा मप्रक्षे वेतनमान II एवं III के अधिकारियों के लिए 4500

कि.मी. की दूरी (एक तरफा) तथा वप्रक्षे IV एवं इससे अधिक के अधिकारियों के लिए 5500 कि.मी. की दूरी (एक तरफा) तक के पात्र किराए के बराबर राशि को प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे:

परंतु यह भी कि दिनांक 1 जून, 2015 से, अपनी अवकाश किराया सुविधा के नकदीकरण को चुनने वाला अधिकारी उस ब्लॉक अवधि में एक बार, जिसमें नकदीकरण की सुविधा ली गई है अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों हेतु दावा कर सकता है. अवकाश किराया सुविधा लेते समय अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी उपलब्ध होगा.

(3ए) छुट्टी किराया रियायत का लाभ प्राप्त करने वाला कोई अधिकारी यात्रा की उस रीति और श्रेणी के लिए पात्र होगा जैसा कि सामन्यत: स्थानांतरण पर यात्रा के मामले में है तथा अन्य नियम एंव शर्ते, जिसके अधीन अधिकारी द्वारा अवकाश किराया रियायत ली जानी है, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है:

बशर्ते दिनांक 1 मई 2010 से कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी एलटीसी के समय हवाई जहाज से न्यूनतम किराए में किफायती श्रेणी में यात्रा करने के पात्र है. इस मामले में वास्तविक किराया या तय की गई दूरी के ट्रेन का एसी प्रथम श्रेणी का किराया, दोनों में से जो कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी. यही नियम मध्य प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान II तथा मध्यम प्रबन्धक श्रेणी वेतनमान III के अधिकारियों द्वारा एलटीसी का लाभ लेने के समय लागू होगा जहां दूरी 1000 किलोमीटर से कम हों।".

17. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुसूची

[विनियम 23(2) देखें]

दिनांक 1 नवंबर, 2012 से एक अधिकारी को नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर विशेष क्षेत्र भत्ते का भुगतान तब तक किया जा सकता है जब तक कि ये प्रावधान वापस नहीं लिए जाते हैं अथवा इनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से संशोधन नहीं किया जाता है : -

तालिका

क्रम. सं.	**क्षेत्र**	**भत्ता (रु.)**	
		रु.24,000/- से कम वेतन	**रु. 24,000/- से अधिक**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	**मिज़ोरम**		
	(ए) चिम्प्तुइपुई जिला तथा लुंगली जिले में लुंगली शहर से 25 कि.मी. से अधिक दूरी वाले क्षेत्र।	2000	2600
	(बी) लुंगली शहर से 25 कि.मी. से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण लुंगली जिला।	1600	2100
	(सी) संपूर्ण आईजोल जिला	1200	1500
2.	**नागालैंड**	1600	2100
3.	**अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह**		
	(ए) उत्तर अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार एवं नरकोण्डम द्वीपसमूह	2000	2600
	(बी) दक्षिण अंडमान (पोर्टब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	**सिक्किम**	2000	2600

5.	**लक्षद्वीप द्वीपसमूह**	2000	2600
6.	**असम**	320	400
7.	**मेघालय**	320	400
8.	**त्रिपुरा** (ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र (बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण त्रिपुरा।	 1600 1200	 2100 1500
9.	**मणिपुर**	1200	1500
10.	**अरूणाचल प्रदेश** (ए) अरूणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र (बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण अरूणाचल प्रदेश	 2000 1600	 2600 2100
11.	**जम्मू एवं कश्मीर** (ए) कठुआ जिला : निआबत बानी, लोही, मल्हार एवं मछोदी (बी) ऊधमपुर जिला : (i) डुडू बसंतगढ़, लेण्डर भामग इलाके, भाग 2(बी) में सम्मिलित क्षेत्रों के अतिरिक्त। (ii) तहसील मोहरे में कामबन साइड से गोअल क्षेत्र तक और कियासी साइड से अरनास क्षेत्र तक। (सी) डोडा जिला : किश्तवार तहसील में पडुर एवं निआबत नौगांव के इलाके (डी) लेह जिला : जिले के सभी स्थान (ई) बारामूला जिला : (i) सम्पूर्ण गुरेज-निआबत, तंगदार उप-खंड और करण इलाका। (ii) मच्छिल (एफ) पुंछ और राजौरी जिले : दोनों जिलों में पुंछ तथा राजौरी और सुंदरबानी तथा अन्य शहरी	 2000 2000 1600 2000 2000 2000 1600 1200	 2600 2600 2100 2600 2600 2600 2100 1500

	इलाकों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र। (जी) ऐसे क्षेत्र जो ऊपर कॉलम (1) से (6) में शामिल नहीं किए गए हैं परंतु जो वास्तविक नियंत्रण की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी के भीतरहैं अथवा उन स्थानों पर हैं जो राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियोंके लिए सीमा भत्ता दिए जाने योग्य स्थान घोषित किए जाते हैं।	1200	1500
12.	**हिमाचल प्रदेश** 1. **चम्बा जिला** : (ए) पंगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायन : बदगांव, बजोल, दियोल कुगटी, नयागाम और टुंडाह, गांव : ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटाका कनारसी (बी) भरमौर तहसील, उपर्युक्त भाग (ए) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर (सी) भाटियात तहसील में झांडरू पंचायत, चुराहा तहसील, डलहौजी टाऊन (बनीखेत मेन सहित)	2000 1600 1200	2600 2100 1500
	2. **किन्नौर जिला** : (ए) उपर्युक्त विशिष्ट पंचायत क्षेत्र को छोड़कर असरंग, चिटकुल और हंगोकुनों/चिरांग पंचायतें और छोटा खम्बा की ग्रामपंचायतों के 15/20 क्षेत्र नथपा और रूपी, पुह, उप-तहसील। (बी) उपर्युक्त (ए) में शामिल क्षेत्र के अलावा पूरा जिला।	2000 1600	2600 2100
	3. **कुल्लू जिला** : (ए) निरमन्द तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवर और सरगा की ग्राम पंचायत शामिल हैं। (बी) बाहरी सेराज (निरम्नद तहसील में जकात खाना और बुराव गांव छोड़कर पूरा जिला (बाहरी सेराज क्षेत्र और पण्डाविस परगना को छोड़कर किन्तु निरमंद तहसील के जगतखाना और बुरांव गांव सहित)	2000 1200	2600 1500
	4. **लाहौल और स्पीती जिला :** पूरा लाहौल और स्पीती जिला	2000	2600
	5. **शिमला जिला :** (ए) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र कुट, लबाना-सदाना, सरपाड़ा और चड़ी बराण्डा की पंचायतों सहित।	2000	2600

	(बी) डोरा-कवाड़ तहसील, रामपुर में डारकाली की ग्राम पंचायत, कशापठ तहसील और सराहन परगना के घोड़ी चैबीस और मुनिश। (सी) चोपाल तहसील और धोरीस, पंजगांव, पटस्नाऊ, नौबीस और सराहन परगना की तीन कोटी, नाकलेच क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, परगना बराबीस, कसबा रामपुर और रामपुर तहसील का रामपुर परगना का घोड़ीनाग, शिमला नगर और इसके उपनगर (धाली, जटोग, कासुम्बपटी, मशोबरा,तारादेवी और टुटु) ।	1600 1200	2100 1500
	6. **कांगड़ा जिला :** (ए)बड़ा भांगल और छोटा भांगल का क्षेत्र। (बी) कांगड़ा जिले का धर्मशाला नगर और नगर निगम सीमा के बाहर स्थित निम्न कार्यालय किन्तु धर्मशाला नगर में शामिल है – वूमन्स आईटीआई, दारी, मेकेनिकल वर्कशाप, रामनगर, चाइल्ड वेल्फेयर और टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय, सकोह,लोअर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा मिल्क सप्लाई स्कीम, डुगिआर, एचआरटीसी वर्कशाप, साधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दरी, फोरैस्ट कॉर्पोरेशन आफिस, शाम नगर,टी- फैक्टरी, दारी, आईपीएच सब डिवीजन, डान, सेटलमैंट आफिस, शामनगर, हिन्वा प्रोजेक्ट, शामनगर, कांगड़ा जिले का पालमपुर नगर जिसमें पालमपुर के एचपीकेवीसी कैम्पस और निम्नलिखित कार्यालय है. जो इसके म्यूनिसिपल सीमा के बाहर स्थित है किन्तु पालमपुर नगर में शामिल है. हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बानुरी, सेरीकल्चर आफिस/इन्डो-जर्मन एग्रीकल्चर वर्कशाप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुण्डल, फिस/इन्डो-जर्मन एग्रीकल्चर वर्कशाप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुण्डला, इलेक्ट्रिल सब डिवीजन, लोहना, डीपीओ कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिल सब डिवीजन, लोहना, डीपीओ कॉर्पोरेशन बुण्डला इलेक्ट्रिकल एचपीएसईई डिवीजन घंग्गेर।	1600 1200	2100 1500
	7. **मण्डी जिला:** जोगिन्द्रनगर तहसील की छुहार घाटी, बागरा की थुनग तहसील की पंचायत, चतरी, छोटधर गारागुशैन गटटू, गैरयास, जंजेहली, जरयार, जोहार, कुल्हारी, कलबान, खोलानल, लोठ, सिलीबागी, सोमाचन, थचधर, ताची, थाना धरमपुर बलक की पंचायतें – बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार और ताराखोला, कारसोग तहसील की पंचायतें – बालीधर, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग,मेहुदी, मंज, पेखी, सैनज, सराहन और तबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें – बोही, कटवारा, धनयारा, पौड़ा,कोठी, सेरी और शोजा।	1200	1500
	8. सिरमौर जिला: बनी की पंचायतों, बाखली, (पछाड तहसील), भारोग भेनेरी (पावन्ता तहसील), डिब्बेर (पछाड तहसील) और थाना कासोगा (नहन तहसील) एवं थानस्गीरी ट्रेक्ट।	1200	1500

	9. सोलान जिला : मंगल पंचायत	1200	1500
	10. ऊपरलिखित मद 1 से 9 में नहीं दिए हिमालय प्रदेश का बाकी क्षेत्र।	320	400
13.	**उत्तर प्रदेश** चामोली, पिठोरागढ़ एवं उत्तर काशी जिलों के अंतर्गत क्षेत्र	2000	2600
14.	**उत्तराखंड** चामोली, पिठोरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत जिलों के अंतर्गत क्षेत्र	2000	2600”

विवरणात्मक ज्ञापन

इन विनियमों में दिए गए भूतलक्षी प्रभाव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के वेतन और अन्य भत्तों और लाभों से संबंधित हैं और अनिवार्य रूप से लाभकारी कानून हैं. इसलिए, इन विनियमों के उक्त प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से इस तरह के पूर्वव्यापी आवेदन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विवेक वाही, कार्यपालक निदेशक–मासंवि

[विज्ञापन-III/4/असा./618/2021-22]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र भाग III, धारा 4, में जुलाई, 1979 के प्रथम दिन को प्रकाशित किए गए थे, और उत्तरावर्ती संशोधन निम्न अधिसूचनाओं के अनुसार किए गये, अर्थात्: -

क्रमांक	**राजपत्र अधिसूचना संख्या**	**प्रकाशन की तिथि**	**दिनांक**
1.	43	24.10.1987	05.10.1987
2.	16	21.04.1990	07.02.1990
3.	43	25.10.1996	05.09.1996
4.	37	13.09.1997	19.03.1997
5.	42	20.10.2001	14.09.2001
6.	26	28.06.2003	17.06.2003
7.	79	15.05.2006	22.03.2006
8.	115	29.07.2006	17.07.2006
9.	361	11.12.2014	08.11.2014
10.	275	11.7.2017	27.06.2017

CENTRAL BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd January, 2022

F. No. CO:HRD:IRP:2021-22:236.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970), the Board of Directors of the Central Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India **(**Officers'**)** Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Central Bank of India **(**Officers'**)** Service (Amendment) Regulations, 2021.

(2) Save as provided in these regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2012.

2. In the Central Bank of India **(**Officers'**)** Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

'(f) "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children(including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters, and parents wholly dependent on the officer and in case of a married female officer may include her natural parents or parents-in-law, but not both.

Explanation.-"wholly dependent" shall mean such member of the family having an income not exceeding Rs. 10,000 per month and where the wholly dependent family members are parents, the income of any parent or aggregate income of both the parents if exceeds Rs. 10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

3. In regulation 4 of the said regulations, for sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(6) With effect from the 1st November, 2012, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.76520 -2120/4- 85000

Scale VI = Rs.68680 - 1960/4- 76520

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.59170 - 1650/2 – 62470 - 1800/2- 66070

Scale IV = Rs.50030 - 1460/4 – 55870 - 1650/2– 59170

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.42020 - 1310/5 – 48570 - 1460/2- 51490

Scale II = Rs.31705 - 1145/1 – 32850 - 1310/10- 45950

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.23700 - 980/7 – 30560 - 1145/2 – 32850 - 1310/7- 42020.

Explanation:- Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2012 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2012 on stage to stage basis, or the corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual.

(7) Nothing in sub-regulation (1),(2),(3),(4),(5) and (6) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(8) With effect from 1st day of November, 2012, officers shall be paid Special Allowance as under:

Scale I-III – 7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V – 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI-VII – 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Provided that nothing in this sub-regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times officers serving in this grade.

NOTE: The Special Allowance referred to in sub-regulation (8) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity".

4. In regulation 5 of the said regulations,-

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2012, the increments shall be granted subject to the following, namely:-

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (6) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) one year after reaching the maximum in their respective Scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;

(c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which the first two shall be Rs. 1310 each and next two Rs. 1460 each;

(d) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460 each for every three completed years of service and a fourth stagnation increment of Rs. 1460 two years after receipt of third stagnation increment:

Provided that officers who have completed two years or more after receipt of the third stagnation increment shall be granted the fourth stagnation increment with effect from 1st May, 2015;

(e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III (those recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III) shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 1460 each for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs. 1460 to Officers who have completed two years or more after releasing third stagnation increment as on 1st May, 2015 and a fifth stagnation increment of Rs. 1460 two years after receipt of fourth stagnation increment provided that the Officers who have completed two years after receipt of the fourth stagnation increment shall be granted the fifth stagnation increment with effect from 1st Day of May, 2015;

(f) officers in Senior Management Grade Scale-IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs. 1650 three years after reaching the maximum of scale with effect from 1st Day of May, 2015:

Provided that such increment shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation:- Grant of such increments in the next higher Scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the Officers shall continue as of their substantive posts.";

(ii) in sub-regulation(2), in the *Explanation*, after clause(f) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) On and from the 1st day of November, 2012, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:

TABLE

(1)	(2)
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers- Part I	Rs. 670 per month, one year after reaching maximum of the Scale
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 670 per month, one year after reaching maximum of the scale (ii) Rs.1680 per month two years after reaching maximum of the scale

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers(either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.";

(iii) in sub-regulation(3), after the table under clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(f)" on and from the 1st day of November, 2012, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment Component (Rs.)	**Dearness Allowance as on 01.11.2012 on the increment components (Rs.)**	**Total Fixed Personal Pay payable where Bank's accommodation is provided(Rs.)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

Note:

(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the tables in clauses (b),(c),(d),(e) and (f) of this sub-regulation shall be payable to those officer who are provided with Bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the Table under clause (f) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2), (3),(4), (5) and (6) of regulation 4 is earned.

(iii) Only Officers who were in the service of the Bank on or before 01.11.1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of the pay they are placed.

(iv) On and from 1st November,1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after 1st November,1999, it shall be released to the officer on and from that date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on 1st November, 2000.

(v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(vi) An officer who has earned the advance increment as in Clause (a) of this sub-regulation shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c),(d), (e) or (f) above, one year after reaching the maximum of the scale.

5. In regulation 21 of the said regulations:-

(i) after sub-regulation(5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(6) On and from the 1st day of November, 2012, Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10% of pay.

Explanation:- For the purposes of this sub-regulation-

(a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments plus Special Allowance;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d),(e),(f) and (g) to the explanation in sub-regulation(2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.".

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulations (1) , the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(1) on and from the 1st day of November, 2012,-

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:-

TABLE

Place of Work	**House Rent Allowance**
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
(iii) Other places	7.0% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above table.

NOTE: The claims of officers for House rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of the House Rent Allowance as hitherto.".

7. In regulation 23 of the said regulations,-

(A) for sub regulation (1), (2), (3), (4), and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(1) On and from the 1st Day of November, 2012, if an Officer is serving in a place mentioned in column (1) of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable:-

Places	Rate
(1)	**(2)**
(i) Places in Area 1 and in the state of Goa	4% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.870 per month
(ii) Places with population of five lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair.	3% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.600 per month.

(2) On and from 1st Day of November, 2012, the rates of Special Areas Allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.

(3) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.400 per month or Rs.350 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 1100 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum of Rs.4000 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organization which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs. 2000 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs.2000 per month.";

(B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(8) On and from the 1st day of November 2012, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.200 per month.";

(C) in sub-regulation(10):-

(a) for the figures, letters and words "1st day of November 2007", the figures, letters and words "1st day of November, 2012" shall be substituted;

(b) for the table, the following table shall be substituted, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	**(2)**
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 750 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5 % of pay subject to a maximum of Rs.1000 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.2000 per month

8. In regulation 24 of the said regulations,-

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(1) On and from the 1st day of November 2012, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	**(2)**
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 8000 per annum or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 9050 per annum or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2012, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2012 and December, 2012.

(1A) An officer shall be eligible for medical insurance facility for self and his family, as per the terms and conditions specified by the Board.".

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an Officer on payment by the Officer, on and from the 1st day of November, 2012, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the Officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.15 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

10. In regulation 33 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following sub regulation shall be substituted, namely:-

"(4) On and from 1st Day of June, 2015, Privilege Leave may be accumulated up to not more than two hundred and seventy days days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of two hundred and forty days:

Provided further that an Officer desiring to avail Privilege Leave shall ordinarily give not less than fifteen days notice of his intention to avail of such leave.".

11. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) On and from the 1st June, 2015, Special Sick Leave upto thirty days may be granted to an officer once during his entire period of service for donation of kidney or organ.".

12. In regulation 36 of the said regulations, for sub-regulation (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(2) With effect from the 25th day of May 2015, leave may also be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months subject to the following terms and conditions:-

(i) leave will be granted for adoption of only one child;

(ii) the adoption of a child be through a proper legal process and the officer shall produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

(iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and

(iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.

(3) With effect from the 25th day of May 2015, within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.

(4) Maternity leave, which shall be on substantive pay, shall be granted to a female officer for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or Medical Termination of Pregnancy.

(5) With effect from 1st day of June 2015, male officers having up to two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement which may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave shall be applied upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child.".

13. For regulation 38 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

" 38 Lapse of Leave,- Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the Bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he had accumulated:

Provided further that where an officer has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he has accumulated:

Provided also that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding two hundred and forty days of privilege leave to his credit as on the date of his death:

Provided also that where an officer resigns from service on or after 1st April, 2001 after giving due notice as in sub-regulation (2) of regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such

leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of one hundred and twenty days.".

14. In regulation 41 of the said regulations,-

(i) for sub-regulation (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(1) On and from 1st Day of November, 2012, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:-

(a) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st class or AC2- tier Sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if so permitted by Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC2- tier Sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 Kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air(economy class);

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 Kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) any other officer may be authorized by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;

(f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.";

(ii) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) On and from the 1st day of June, 2015, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below shall be entitled to per diem Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grade/Scales of Officers	**Metro (Rs.)**	**Major 'A' Class Cities (Rs.)**	**Area 1 (Rs.)**	**Other Places (Rs.)**
(1)	**(2)**			
Officers in Scale VI and above	1800	1300	1100	950
Officers in Scale IV and V	1500	1300	1100	950
Officers in Scale I/II/III	1300	1100	950	800

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation,- For the purposes of computing Halting Allowance, "per diem" shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the

actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.".

15. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) On and from the first day of June, 2015, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade or Scale	Amount
(1)	**(2)**
Top Executive and Senior Management Grade (Officers in Scale IV and above)	Rs. 20,000
Middle Management and Junior Management Grade (Officers upto Scale III)	Rs.15,000

16. In regulation 44 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub -regulation shall be substituted, namely:-

"(3) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route:

Provided further that with effect from 1st June, 2015, alternatively, an officer, by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case maybe, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4,500 Kilometers (one-way) for officers in JMG-Scale –I and MMG-Scale II and III and 5,500 Kilometers (one-way) for officers in SMG-Scale IV and above:

Provided also that with effect from 1st June, 2015, an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3A) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from 1st May, 2010 an officer in Junior Management Grade Scale I while availing LTC shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled whichever is less and the same rules shall apply when an Officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 Kilometers.".

17. For the Schedule to the said regulations the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

[See regulation 23(2)]

With effect from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the table below, namely:-

TABLE

Sr. No.	Area	Allowances(Rs.)	
		Pay below Rs. 24,000/-	**Pay above Rs.24,000/-**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	**Mizoram**		
	(a) Chimptuipui District and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District.	2000	2600
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town	1600	2100
	(c) Entire Aizawl District	1200	1500
2.	**Nagaland**	1600	2100
3.	**Andaman and Nicobar Islands**		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman(including Port Blair)	1600	2100
4.	**Sikkim**	2000	2600
5.	**Lakshadweep Islands**	2000	2600
6.	**Assam**	320	400
7.	**Meghalaya**	320	400
8.	**Tripura**		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	**Manipur**	1200	1500
10.	**Arunachal Pradesh**		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	**Jammu and Kashmir**		
	(a) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(b) Udhampur District:		
	(i) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other	2000	2600

	than those included in Part 2(b).		
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(c) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(d) Leh District: All places in the District	2000	2600
	(e) Barmulla District (i) Entire Gurez- Nirabat , Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	2000	2600
	(ii) Matchill	1600	2100
	(f) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	1200	1500
	(g) Areas not included in items (a) to (f) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	**Himachal Pradesh** 1. Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	2000	2600
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above.	1600	2100
	(c) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	2. Kinnaur District:		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600

	(b) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	3. Kullu District:		
	(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(b) Outer-Saraj(excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	4. Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	5. Shimla District:		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi- Branda.	2000	2600
	(b) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	1600	2100
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon , Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	6. Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	1600	2100
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town- Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari,I.P.H- Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.	1200	1500
	Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town –H.P.		

	Krishi Vishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.		
	7. Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil- of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain,Gatoo, Garyas,Janjehli,Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth,Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block-Binga, Kamlah,Saklana,Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil- Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil- Bohi, Batwara, Dhanyara, PauraKothi,Seri and Shoja.	1200	1500
	8. Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali,(Pachhad Tehsil), BharogBheneri(Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber(Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	9. Solan District Mangal Panchayat	1200	1500
	10. Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items 1 to 9 above.	320	400
13.	**Uttar Pradesh** Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts	2000	2600
14.	**Uttarakhand** Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts.	2000	2600”

EXPLANATORY MEMORANDUM

The retrospective effect given in these regulations relate to the pay and other allowances and benefits to the officers of the Central Bank of India and are essentially beneficial legislation. Hence, giving retrospective effect to the said provisions of these regulations will not adversely affect the interest of any person as a result of such retrospective application.

VIVEK WAHI, Executive Director -HRD

[ADVT.-III/4/Exty./618/2021-22]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 1st day of July,1979 and subsequently amended vide following notifications, namely:-

Sr. No.	Gazette Notification No.	Date of publication	Dated
1.	43	24.10.1987	05.10.1987
2.	16	21.04.1990	07.02.1990
3.	43	25.10.1996	05.09.1996
4.	37	13.09.1997	19.03.1997
5.	42	20.10.2001	14.09.2001
6.	26	28.06.2003	17.06.2003
7.	79	15.05.2006	22.03.2006
8.	115	29.07.2006	17.07.2006
9.	361	11.12.2014	08.11.2014
10.	275	11.7.2017	27.06.2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.28 22:50:18 +05'30'